भाग ppp

हरियाणा सरकार

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जनवरी, 2007

संख्या सा०का०नि० 1/संवि०/अनु० 309/2007-भारत के संविधान के अनुच्छे 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, इसके द्वारा, हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

भाग ppp सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''संवर्ग पद'' से अभिप्राय है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई पद तथा इसमें शामिल हैं, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से उसी पद नाम वाला

कोई अस्थाई पद तथा राज्यपाल द्वारा संवर्ग पद के रूप में घोषित कोई अन्य अस्थाई पद,

(ख) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो बार से सेवा में नियुक्त किया गया है;

(ग) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(घ) ''राज्यपाल'' से अभिप्राय है, हरियाणा का राज्यपाल;

(ड.) ''उच्च न्यायालय'' से अभिप्राय है, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय;

(च) ''प्रारम्भिक भर्ती'' से अभिप्राय है, इन नियमों के प्रारम्भ होने के बाद सेवा में की गई प्रथम भर्ती तथा नियुक्ति;

(छ) ''सेवा का सदस्य'' से अभिप्राय है, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ज) ''राजपत्र'' से अभिप्राय है, हरियाणा राजपत्र;

(झ) ''पदोन्नत अधिकारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) से पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किया गया है;

(ञ) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, समय-समय पर यथा संशोधित तथा इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ट) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा;

(ठ) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ।

3(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तिथि को तथा से हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा के नाम से जानी जाने वाली सेवा गठित की जाएगी।

(ख) सेवा में शामिल किए गए पद ग्रुप क पद, राजपत्रित होंगे।

भाग – II – प्राधिकृत संख्या

4.(क) सेवा में शामिल पदों की प्राधिकृत संख्या ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए, जो संवर्ग पदों के सृजन या समाप्ति के साथ-साथ स्वतः संशोधित हो जाएगी।

(ख) सरकार समय-समय पर अनेक संवर्ग पद जो उच्च न्यायालय के परामर्श से सृजित कर सकती है।

भाग III – भर्ती का ढंग

5. सेवा में भर्ती राज्यपाल द्वारा की जाएगी, -

(प) उच्च न्यायालय के परामर्श से हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में से पदोन्नति द्वारा; तथा

(पप) उच्च न्यायालय द्वारा संचालित लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालय की सिफारिशों पर पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा।

6. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित रूप में की जाएगी–

(क) 50 प्रतिशत योग्यता एवं ज्येष्ठता तिाि उपयुक्तता परीक्षा पास करने के सिद्धांत के आधार पर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन)/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों/ अपन सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) में से पदोन्नति द्वारा;

(ख) 25 प्रतिशत सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन)/ मुख्या न्यायिक मजिस्ट्रेटों/ अपर सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) के रूप मं कम से कम पांच वर्ष की अर्हक सेवा रखने वाले सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन) की परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यथार्थत: मैरिट के आधार पर पदोन्नति द्वारा तथा जो परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियत अंतिम तिथि को कम से कम पैंतीस वर्ष के हों; तथा

(ग) 25 प्रतिशत पद उच्च न्यायालय द्वारा संचालित लिखित तथा मौखिक परीक्षा के आधार पर पात्र अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।

(2) नियम 6 का प्रथम तथा द्वितीय पद प्रवर्ग (क) (योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा) को जाएगा, तृतीय पद प्रवर्ग (ग) (बार

से सीधी भर्ती) को जाएगा, तथा चतुर्थ पद प्रवर्ग (ख) (परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा) को जाएगा तथा आगे इसी प्रकार।

7. उच्च न्यायालय राज्यपाल को सिफारिश करने से पूर्व विज्ञापन द्वारा के आवेदन आमंत्रित करेगा तथा आवेदकों से ऐसे ब्यौरे जो वह विनिर्दिष्ट करे देने के लिए अपेक्षा कर सकता है तथा और आगे उपरोक्त नियम 6(ग) के निबन्धों के अनुसार भर्ती के लिए लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा का आयोजन कर सकता है तथा अधिकतम अंक निम्नलिखित रीति में होंगे :-

(प) लिखित परीक्षा : 750 अंक

(पप) मौखिक : 250 अंक

8. उपरोक्त नियम 6(क) के अधीन हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्य की योग्यता तथा उपयुक्तता के निर्धारण तथा परीक्षण के लिए, उच्च न्यायालय,-

(क) निम्नलिखित पर विचार कर सकता है-

(प) पूर्ववर्ती पांच वर्षो की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट;

(पप) पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई अधिकारी के न्यायालय की निरीक्षण रिपोर्ट;

(पपप) अपने स्यं के न्यायालय तथा उसके अधीनरथ न्यायालयों के अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण, यदि उसे पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान उन न्यायालयों का निरीक्षण कार्य समनुदेशित किया जाता है;

(पअ) पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान अधिकारी के कार्य की स्वतः निर्धारण रिपोर्ट;

(अ) पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान अधिकारी द्वारा निर्णीत मामलों के न्याय निर्णय; तथा

(ख) विधिक ज्ञान को अभिनिश्चित तथा परखने के लिए तथा विधिक क्षेत्र में दक्षता का निर्धारण करने के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा (20 अंक); तथा मौखिक परीक्षा (20 अंक) का आयोजित करना :

परन्तु किसी वर्ष में ग्रेड सी (सन्देहात्मक ईमानदारी) रखने वाला कोई अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

9. उच्च न्यायालय नियम 6(ख) के अनुसार हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक-शारवा) के सदस्यों की पदोन्नति के लिए परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा तथा अधिकतम अंक निम्नलिखित रीति में होंगे :

(प) लिखित परीक्षा - 600 अंक

(पप) रिकार्ड का निर्धारण - 150 अंक

(पपप) मौखिक - 250 अंक

परन्तु उच्च न्यायालय उपरोक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त उपरोक्त नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट मानदण्ड में से किसी एक पर विचारण करेगा :

परन्तु यह और कि किसी वर्ष में ग्रेड सी (सन्देहात्मक ईमानदारी) रखने वाला कोई अधिकारी परिसीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा।

10. (प) (क) नियम 6(क) के अधीन उसी बैच ं पदोन्नत हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में है।

(ख) नियम 6(ख) के अधीन पदोन्नत वरिष्ठ न्यायिक सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता चयन प्रक्रिया में अवधारित योग्यता क्रम से होगी।

(ग) नियम 6(ग) के अधीन सेवा में सीधी भर्ती की परस्पर ज्येष्ठता भर्ती के समय पर उच्च न्यायालय की चयन समिति द्वारा अवधारित योग्यता के आधार पर होगी।

(घ) नियम 6 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता स्थिति अनुबद्ध रोस्टर के अनुसार होगी।

(पप) नियम 6 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन सेवा में भर्ती किया गया कोई व्यक्ति उस तिथि जिसको वह वास्तव में सेवा ग्रहण

करता है को विचार में लाए बिना अनुबद्ध रोस्टर में यथा दर्शित ज्येष्ठता सूची में अपनी स्थिति ग्रहण करेगा।

(पपप) पदोन्नत अधिकारी जो नियम 6 के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों से संबंधित अधिकारी के लिए चिह्नित रोस्टर बिन्दु के विरुद्ध रिक्ति/ पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाता है, पद पर कोई अधिकार नहीं रखेगा। वह ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए नियमित सेवा में अपनी तदर्थ सेवा की अवधि जोड़ने का हकदार नहीं होगा :

परन्तु विद्यमान नियम सेवा के विद्यामान सदस्यों की वरिष्ठता के मामलों को शासित करते रहेंगे।

11. सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं निम्नानुसार होंगी :-

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) अधिवक्ता के रूप में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किया गया हो तथा कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए विधि व्यवसाय किया हो;

(ग) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वर्ष जिसमें भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं की प्रथम जनवरी को पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी न की हो।

12. कोई भी व्यक्ति जिसका/ जिसकी एक से अधिक पति/ पत्नी जीवित है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि राज्यपाल की सन्तुष्टि हो जाती है कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, तो इस उप-नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकता है।

भाग प्ट-नियुक्ति, परिवीक्षा तथा पुष्टि

13.(1) सेवा में नियुक्त सभी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे:

परनतु राज्यपाल उच्च न्यायालय की सिफारिश पर परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है किन्तु किसी भी मामले में परिवीक्षा की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति की सेवा किसी कारण के बताये बिना समाप्त करने के लिए दायी होगी।

(3) परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद तथा स्थाई पदों की उपलब्धता के अध्यधीन, अधिकारी/अधिकारियों को उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा सेवा में पुष्ट किया जाएगा तथा उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

भाग ट-अस्थाई नियुक्तियां

14.(क) सरकार सेवा में अस्थाई पद सृजित कर सकती है :

(ख) अस्थाई पद हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के सदस्यों में से तथा बार से सीधी भर्ती द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से सरकार द्वारा भरे जाएंगे।

व्याख्या –इस नियम के अधीन नियुक्तियों के लिए नियम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तथा 12 लागू होंगे।

15. इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, नियम 14 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों में से उन की अस्थाई नियुक्तियां करते हुए सेवा में अधिष्ठायी रिक्तियां भर सकती है।

भाग टप – वेतन तथा भत्ते

16.(1)सेवा के वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

(क) जिला न्यायाधीश प्रवेश	16750-400-19150-
स्तर काल वेतनमान :	450-20500 रुपए
(अपर जिला न्यायाधीश)	
(ख) प्रवरण ग्रेड (जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर	18750-400-19150-
काल वेतनमान (अपर जिला न्यायाधीश	4501-21850-500
के संवर्ग तथा जो योग्यता एवं ज्येष्ठता के	
निर्धारण पर संवर्ग में कम से कम पांच	

वर्ष की लगातार सेवा रखते हों।

(ग) जिला न्यायाधीश (अति काल वेतनमान) 22850-500-24850 रूपे

(यह वेतनमान भी जिला न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या के दस प्रतिशत को उपलब्ध

होगा तथा उनको भी दिया जाएगा जिन्होंने

योग्यता एवं ज्येष्ठता के निर्धारण पर

प्रवरण ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष की

लगातार सेवा की हो):

(2) सीधी भर्ती का प्रारम्भिक वेतन निया 16 में वर्णित काल वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन होगा:

परनतु सरकार, उच्च न्यायालय की सिफरशि पर, सेवा में नियुक्त किये गये उपयुक्त उम्मीदवारों को अग्रिम वेतनवद्वि दे सकती है।

(3) पदोन्नत अधिकारी का वेतन भारतीय प्रशासनिक सेवा सदस्यों को समय-समय पर लागू वित्तीय नियामें, विनियमों, आदेशों या निर्देशें के अनुसार उपर्युक्त काल वेतनमान में नियत किया जाएगा।

17. प्रवरण ग्रेड तथा अति काल वेतनमान पदों की संख्या अनुसूची में दर्शाये अनुसार होगी।

भाग 7 – अन्य उपबन्ध

18. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण हरियाणा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

19. सरकार इन नियामें के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए ऐसे सभी माामले जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है के उपबन्ध के लिए इन नियमों से जो असंगत न हो विनियम बना सकती है।

20. सेवा में प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा–स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

21. प्रारम्भिक भर्ती चयनित अधिकारियों की सहमति तथा राज्य सरकार की सहमति के अयधीन होगी।

22. सीधी भर्ती वालों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए विहत मानकों के अनुसार शाारीरिक योग्यता का प्रमाण–पत्र नियुक्ति से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

23. सेवा के सदस्यों की मृत्यु एवं सेवानिवृति लाभांशों के संबंध में समय–समय पर यथा संशोधित मामलों पर हरियाणा सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित होंगे:

परन्तु बार से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये सेवा के सदस्य कीपेंशन तथा अन्य सेवानिवृत लाभांशों के लिए उसकी अर्हक सेवा की कुल अविधा की संगणना में उसकी सेवा की वास्तविक अवधि, सेवा में कार्यग्रहण करने से पहले बार में उसकी

विधि व्यवसाय की अविध या दस वर्ष की अवधि, जो भी कम हो, जोड़ने के लिए हकदार होगा।

व्याख्याः – संशय को दूर करने हेतु हय स्पष्ट किया जाता है कि इस सेवा में सीधी भीर्त के सदस्य, जोकि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से तुरन्त पूर्व विधि अधिकारी या जिला न्यायवादी ाि, को भी बार में दस वर्ष से अनधिक वर्ष की वास्तविक संख्या तक की गई वाकलत के लाभ को अधिवर्षिता पेंशन तथा, अन्य सेवानिवृति लाभांशों के लिए उसकी अर्हक सेवा में गिने जाने के लिए हकदार होगा।

24. सेवा को ाकई भ सदस्य मास जिसमें वह साठ वर्ष की आयु पूरी करता हे कि अन्तिम तिथि के अपराहन को सेवा से सेवानिवृत होगा:

परन्तु उच्च न्यायाल उसे 58 वर्ष की आयु से आगे सेवा में रहने के लिए अनुमत करने से पूर्व उसको लागू सेवा नियमों के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत की प्रयिा अपनाते हुए सेवा में उसकी निरन्तर उपयोगिता का निर्णय करने के लिए उसके 50 वर्ष, 55 वर्ष तथा 58 वर्ष की आयु पूरी तरने से पूर्व सेवा के सदस्य के सेवा अभिलेख का निर्धारण तथा मूल्यांकन करेगा।

25. (1) सेवा के सदस्यों पर प्रशासनिक नियन्त्रण पूर्ण रूप से उच्च न्यायाल में निहित होगा। हटाने/ बरखास्त, कालपूर्व तािस्वैच्छिक सेवानिवृति के बड़ी शास्ति वाले अनुशासनिक मामलों मे अन्तिम आदेशों के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय की सिफारिश सरकार पर आबद्वकर होगी।

(2) इस नियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपचारी अधिकारी की कानूनी अपील के धिकार पर प्रतिकलू प्रभाल डालेगी।

26. सेवा की शर्तो से सबन्धित सभी ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबन्ध किया गया है, तत्समय तथा राज्य सरकार की सिविल सेवाओं में तलुीय स्तर के अधिकारियों को लागू नियम, निदेश या आदेश ऐसी सेवा शर्तो को विनियमित करेंगें।

27. यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वह उच्च न्यायाल के परामर्श से सरकार द्वारा निण्रीत किया जाएगा।

28. इन नियमों के प्रारम्भ से तिाि जब तक व्यक्ति इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार संवर्ग पद धारण करने के लिए नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ऐसे पद इन नियमों के या तो प्रारम्भ से पूर्व या बाद में प्रतिनियुक्ति पर उनके लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा इस प्रकार निरन्तर धारित रहेंगे मानों ये नियम लागू न हुए हों

29. लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (1850 का अधिनियम संख्या 37) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन शास्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 द्वारा शासित होंगें।

30. सेवा का प्रत्येक सदस्य हरियाणा राज्य के भीतर कहीं भी या भारत में किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण का दायी होगा, जहां वह उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन जाने के लिए उपेक्षित होगा।

31. जहां उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल की राय है कि इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में ढील देना आवश्यक है, तो वे कारण अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकते हैं।

32. हरियाणा राज्य में यथालागू पंजाब वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम, 1963 इसके द्वारा निरसित किये जाते है। ऐसे निरसन के हाते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के द्वाराया अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैध रूप से इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो ये नियम उस दिन लागू थे जिनको ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी।

अनुसूची

(देखिए नियम 4)

इसमे सम्मिलित पदों के स्वरूप की प्राधिकृत संख्या निमनानुसार है:-

क्रम संख्या	पदों का विवरण	पदों की संख्या
1	विधि परामर्शी एवं सचिव, हरियाणा सरकार विधायी विभाग।	1
2	अपर विधि परामर्शी एवं विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, विधायी विभाग।	2
3	जिला तथा सत्र न्यायाधीश।	18
4	अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	83
5	छुट्टी आरक्षित/प्रतिनियुक्ति/प्रशिक्षण के रूप में अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीश	5
	कुल	109

1. संवर्ग पदों का 25 प्रतिशत प्रवरण ग्रेड वेतनमान-27
2. प्रवरण ग्रेड पदों का 10 प्रतिशत अतिकाल वेतनमान-11

रोस्टर

(देखिए नियम 10 (घ)

सेवा में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता सहित परस्पर स्थिति दर्शाते हुए रोस्टर

क्र० सं०	स्रोत	नियम
1.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
2.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
3.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
4.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
5.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
6.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
7.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
8.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

9.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
10.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
11.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
12.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
13.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
14.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
15.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
16.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
17.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
18.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
19.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
20.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

21.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
22.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
23.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
24.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
25.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
26.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
27.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
28.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
29.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
30.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
31.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
32.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

33.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
34.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
35.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
36.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
37.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
38.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
39.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
40.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
41.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
42.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
43.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
44.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

45.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
46.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
47.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
48.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
49.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
50.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
51.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
52.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
53.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
54.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
55.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
56.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

57.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
58.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
59.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
60.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
61.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
62.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
63.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
64.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
65.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
66.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
67.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
68.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

69.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
70.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
71.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
72.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
73.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
74.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
75.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
76.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
77.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
78.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
79.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
80.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

81.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
82.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
83.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
84.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
85.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
86.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
87.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
88.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
89.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
90.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
91.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
92.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

93.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
94.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
95.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
96.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
97.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
98.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
99.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
100.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
101.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
102.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
103.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
104.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)

105.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
106.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)
107.	बार से सीधी भर्ती	6(ग)
108.	परिसिमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नत अधिकारी	6(ख)
109.	ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत अधिकारी	6(क)

प्रेम प्रशान्त

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

PERSONNEL DEPARTMENT

Notification

The 10th January, 2007

No. G. S. R. l/Const./Art. 309/2907.—In exercise of fee powers conferred by article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana in consultation wife High Court of Punjab and Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Superior Judicial Service, namely :—

PARTI-GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007,

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette-

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Cadre posts" means any posts specified in the Schedule and includes a temporary post carrying the same designation as that of any of the posts specified in the Schedule and any other temporary post declared as cadre post by the Governor;

(b) "Direct recruit" means a person who is appointed to the Service from the Bar;

(c) "Government" means the Government of the State of Haryana;

(d) "Governor" means the Governor of Haryana;

(e) "High Court" means the High Court of Punjab and Haryana;

(f) "Initial recruitment" means the first recruitment and appointment made to the service after me commencement of these rules;

(g) "Member of the Service" means a person appointed to the service under the provisions of these rules;

(h) "Official Gazette" means Haryana Government Official Gazette;

(i) "Promoted officer" means a person who is appointed to the service by promotion from Haryana Civil Service (Judicial Branch);

(j) "Schedule" means the schedule as amended from time to time and appended to these rules;

(k) "Service" means the Haryana Superior Judicial Service;

(1) "State" means the State of Haryana.

3. (a) On and from the date of commencement of these rules, there shall be constituted a Civil Service to be known as the Haryana Superior Judicial Service-

(b) The posts included in the Service shall be Group A posts. Gazetted.

PART II - AUTHORISED STRENGTH

4. (a) The authorised strength of the posts included in the service shall be such as specified in the Schedule, which shall stand

automatically, amended simultaneously with the creation or abolition of cadre posts.

(b) The Government may create from time to time as many cadre posts in consultation with High Court.

PART II - METHOD OF RECRUITMENT

5. Recruitment to the Service shall be made by the Governor,—

(1) by promotion from amongst the Haryana Civil Service (Judicial Branch) in consultation with the High Court; and

(ii) by direct recruitment from amongst eligible Advocates on the recommendations of the High Court on the basis of the written and viva voce test conducted by the High Court.

6. (I) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) 50 per cent by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Divisions/Chief Judicial Magistrates/ Additional Civil Judges (Senior Division) on the basis of principle of merit-cum-seniority and passing a suitability test;

(b) 25 per cent by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years qualifying service as Civil Judges (Senior Division/Chief Judicial Magistrates/ Additional Civil Judges (Senior, Division); and who are not less than thirty five years of age on the last date fixed for submission for applications for taking up the limited competitive examinations; and

(c) 25 per cent of the posts shall be filled by direct recruitment from amongst the eligible Advocates on the basis of the written and viva voce test, conducted by the High Court.

(2) The first and second post would go to category (a) (by promotion on the basis of merit-cum-sonority), third post would go to category (c) (direct recruitment from the bar), and fourth post would go to category (b) (by limited competitive examination) of rule 6, and so on.

7. The High Court shall before making recommendations to the Governor invite applications by ad veils semen t and may require the applicants to give such particulars as it may specify and may further hold written examination and viva voce test for recruitment in terms of rule 6(c) above and the maxim urn marks shall be in the following manner:—

(i)	Written Test	750 marks
(ii)	Viva Voce	250 marks

8. For assessing and testing the merit and the suitability of a member of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) under rule 6(a) above, the High Court may—

(a) take into consideration

(i) Annual Confidential Reports for preceding five years :

(ii) inspection report of the court of the officer made by the inspecting Judge nominated by the Chief Justice during the preceding three years;

(iii) inspections done by the officer of his own court and courts subordinate to him if he is assigned inspection work of those courts during the preceding three years ;

(iv) self assessment report of the officer of the work during the preceding three years;

(v) judgments of the cases decided by the officer during the preceding three years; and

(b) hold a written objective test (20 marks); and viva voce (20 marks) in order to ascertain and examine the legal knowledge and to assess the efficiency in legal field;

Provided that any officer having grading as C (integrity doubtful) in any 'year shall not be eligible to be considered for promotion.

9. The High Court shall hold a limited written competitive examination for promotion of members of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) as per rule 6(b) and the maximum marks shall be in the following manner:

(i)	Written Examination	600 marks
(ii)	Assessment of Record	150 marks
(iii)	Viva Voce	250 marks

Provided that the High Court shall in addition to the above competitive examination take into consideration any of the criteria as specified in rule 8 above:

Provided further that any officer having grading as C (integrity doubtful) in any year, shall not be eligible to appear in the limited competitive examination.

10. (i)(a) The infer se seniority of the members of the Haryana Civil Service (Judicial Branch) promoted in the same batch under rule 6(a) shall be the same as in the Haryana Civil Service (Judicial Branch).

(b) Inter se seniority of the member of the Haryana Superior Judicial Service promoted under rule 6(b) shall be in the order of merit determined in the selection process.

(c) Inter se senior ity of the direct recruits to the Service under rule 6(c) shall be on the basis of merit determined by the Selection Committee of the High Court a; the time of the recruitment.

(d) Inter se seniority position of the officers appointed in the Service under rule 6 shall be as given in roster annexed.

(ii) A person recruited to the Service under clauses (a), (b) and (c) of rule 6 shall take his position in the seniority list as shown in the roster annexed irrespective of the date on which he actually joins the Service-

(iii) A promoted officer, who is promoted on an ad hoc basis in the vacancy/post against a roster point earmarked for an officer belonging to categories specified in clauses (b) and (c) of rule 6, shall no£ have any right to the post. He shall not be entitled to add period of his ad hoc service to regular service for the purpose of seniority:

Provided that the existing rules shall continue to govern the matters of seniority of the existing members of the Service.

11. The qualifications for direct recruits shall be as follows :

(a) must be a citizen of India;

(b) must have been duly enrolled as an Advocate and has practised for a period not less than seven years;

(c) must have attained the age of thirty five years any have not attained the age of forty five years on the I[11] day of January of the year in which the applications for recruitment are invited.

12. No person who has more than one spouse living shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this sub-rule.

PART IV - APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

13. (1) All persons appointed to the Service shall remain on probation for a period of two years :

Provided that the Governor may, in the recommendation of the High Court, extend the period of probation, but in no case shall the period of probation extend beyond the period of three years.

(2) The service of a person appointed on probation shall be liable to be terminated without assigning nay reason.

3. After successful completion of the period of probation and subject to availability of permanent posts, the officer (s) shall be confirmed in the Service by its Governor in consultation with the High Court and the same shall be notified.

PART V – TEMPORARY APPOINTMENTS

14. (a) The Government may crease temporary posts in the Service.

(b) Temporary posts shall be filled by the Government, in consultation with the High Court, from amongst the members of Haryana Civil Service (Judicial Branch) and by direct recruitment from the bar.

Explanation – rules 5,6,7,8,9,11 and 12 shall apply to the appointments under this rule.

15. Notwithstanding anything contained in these rules, the Government by making temporary appointments thereto from persons appointed under role 14.

PART VI – PAY AND ALLOWANCE

16. (1) The pay scale of the Service shall be as follows :—

(a)	District Judges entry level time scale Rs, 19150-(Additional District Judges)	16750-400-450-20500
(b)	Selection Grade [limited to 25% of cadre Rs. posts of Dish-let Judge entry level time scale (Additional District Judge) and those having not less than five years of continuous service in the cadre on assessment of merit cum-seniority.	18750-400-19150-450-20500
(c)	District Judges (Super time scale) (This Rs. scale would also be available to 10% of the cadre strength of District Judges, and would be given to those who have put in not less than three years of continuous service in selection grade on assessment of merit-cum-seniority.	22850-500-24850)

(2) The initial pay of a direct recruit shall be the initial pay in the time scale mentioned in rule 16:

Provided that the Government may, on the recommendations of the High Court, give advance increments to suitable candidates appointed to the Service.

(3) The pay of a promoted officer snail be fixed in me aforesaid time scale in accordance with the financial rules, regulations, orders, or directions, applicable from time to seem to members of Indian Administrative Service.

17. The number of selection grade and super time scale posts shall be as shown in the Schedule.

PART VII - OTHER PROVISIONS

18. The reservation of posts for the Schedule Caste, Schedule Tribes and Backward Classes shall be in accordance with the orders issued by the Haryana

19. The Government may make regulations not inconsistent with these rules to provide for matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules.

20. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance of Indi and to the Constitution of India as by law established.

21. The initial recruitment shall be subject to the consent of the officer selected and consent of the State Government.

22. Direct recruits shall have to produce before appointment aw certificate of physical fitness in accordance with the standards prescribed for the Indian Administrative Service.

23. In respect of death-cum-retirement benefits the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Service Rules, Vol. II as amended from time to time.

Provided that in the computation of the total period of his service qualifying for pension and other retrial benefits, a member of the Service directly recruited from the Bar shall be entitled to add, to his actual period of service, the period of his practice at the bar before joining the service or a period of ten years, whichever is less.

Explanation- For removal of doubts, it is hereby clarified that a direct recruit to the service, who immediately before joining the service was a Law Officer or District Attorney shall also be entitled to the benefit of actual number of years not exceeding ten years, put in by way of practice at the Bar, being counted towards his service qualifying for superannuation pension and other retrial beenfits.

24. A member of the Service shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years :

Provided also that the High Court shall assess and evaluate the service record of a member of the Service at the age of fifty years, fifty five year and before he attains the age of fifty-eight years

to find his continued utility in the following the procedure for compulsory retirement under the service rules applicable to him, before he is allowed to continue beyond the age of fifty eight years.

25. (i) The administrative control over members of the Service shall absolutely vest in the High Court. The recommendation of the High Court in disciplinary matters involving major penalty of removal/ dismissal, premature and voluntary retirement shall be binding on the Government for the purpose of final orders.

(2) Nothing in this rule shall be construed to prejudice the right of statutory appeal of the delinquent officer before the competent authority.

26. In respect of all such matters regarding the conditions of service for which no provision or insufficient provision has made in these rules, the rules, directions or orders for the time being in force, and made in these rules, the comparable status in the Civil Services of the State Government shall regulate the conditions of such service.

27. If any question arises as to the interpretation for these rules the same shall be decided by the Government in consultation with the High Court.

28. On the commencement of these rules and until persons are appointed to hold cadre post in accordance with the provisions of these rules, such posts may continue to be held by officers appointed thereto on deputation either before or after the commencement of these rules as if these rules have not come into force.

29. In matters relating to disciplines, penalties and appeals, members of the Service shall without prejudice to the provisions of the Public Servants (inquiries) Act, 1850 (Act No. 37 of 1850) be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time.

30. Every member of the Service in consultation with the State of Haryana or any other place in India, where he may be required to proceed under the order of High Court.

31. Where the Governor in consultation with the High Court, is of opinion that it is necessary so to do, he may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

32. The Punjab Superior Judicial Service Rules, 1963, as applicable to the State of Haryana are hereby repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been validly done or taken in exercise of the powers conferred by or under these rules as it these rules were in force on the day on which such thing was done or action taken.

SCHEDULE

(See rule 4)

The authorized strength of nature of posts included in it are as follows:

Serial No.	**Description of post**		**Number of posts**
1	2		3
1.	Legal Remembrancer ad Secretary to Government, Haryana, Legislative Department.		1
2.	Additional Legal Remembrancer and Special Secretary to Government, Haryana Legislative Department.		2
3.	District and Sessions Judges		18
4.	Additional District and Sessions Judges		83
5.	Additional District and Sessions Judges as level reserve/deputation/ training		5
	Total		**109**
I.	**Selection Grade Scale 25% of cadre posts**	**=**	**27**
II.	**Super time scale 10% of cadre posts**	**=**	**11**

ROSTER

[See Rule 10(D)]

ROSTER INDICATING THE INTER SE POSITION WITH INTER SE SENIORITY OF OFFICERS APPOINTED TO THE SERVICE

Serial No.	**Source**	**Rule**
1	2	3
1.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
2.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
3.	Direct recruit from the Bar	6(c)
4.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
5.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
6.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
7.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
8.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
9.	Officer promoted on the basis of seniority-	6 (a)

	cum-suitability	
10.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
11.	Direct Recruit from the Bar	6(a)
12.	Officer promoted through limited competitive examination	6(c)
13.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(b)
14.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
15.	Direct Recruit from the Bar	6(a)
16.	Officer promoted through limited competitive examination	6(c)
17.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(b)
18.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
19.	Direct Recruit from the Bar	6(a)
20.	Officer promoted through limited competitive examination	6(c)
21.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
22.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
23.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
24.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
25.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
26.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
27.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
28.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
29.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
30.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
31.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
32.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
33.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
34.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
35.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
36.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
37.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
38.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
39.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
40.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
41.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
42.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
43.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
44.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
45.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
46.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
47.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
48.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
49.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
50.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
51.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
52.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
53.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
54.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
55.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
56.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
57.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
58.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
59.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
60.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
61.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
62.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
63.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
64.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
65.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
66.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
67.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
68.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
69.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
70.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
71.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
72.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
73.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
74.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
75.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
76.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
77.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
78.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
79.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
80.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
81.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
82.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
83.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
84.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
85.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
86.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
87.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
88.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
89.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
90.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
91.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
92.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
93.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
94.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
95.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
96.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
97.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
98.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
99.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
100.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
101.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
102.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
103.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
104.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
105.	Officer promoted on the basis of seniority-	6(a)

	cum-suitability	
106.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)
107.	Direct Recruit from the Bar	6(c)
108.	Officer promoted through limited competitive examination	6(b)
109.	Officer promoted on the basis of seniority-cum-suitability	6(a)

s